न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद, जिला कोटा

मि0 न0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
117 / 2025	23.07.2025	17.02.2026

पीठासीन अधिकारी – श्री दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

निर्भय शंकर आत्मज रामनाथ जी जाति मीणा निवासी पीपल्दा समेल तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।

(वादी)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वादीगण की और से :– श्री अनिल खण्डेलवाल एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 भू–राजस्व अधिनियम

–: निर्णय :–

वादी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम पीपल्दा समेल तहसील दीगोद जिला कोटा में निम्न खसरा नम्बरान की 5 किता रकबा 7.17 हेक्टर भूमि वादी व अन्य सहखातेदारान के शामलाती के खाते में दर्ज चली आ रही है खसरा नम्बर 32 रकबा 2.53 है0 खसरा नम्बर 38 रकबा 0.39 है0, खसरा नम्बर 50 रकबा 0.57 है0 खसरा नम्बर 501 रकबा 3.36 है0 खसरा नम्बर 54 रकबा 0.32 है0 कुल किता 5 रकबा 7.17 है0 भूमि स्थित चली आ रही है। यह कि पूर्व में उक्त भूम में वादी के पिता रामनाथ जी का 1/2 हिस्सा दर्ज था उनकी मृत्यु के बाद उनके वारिसान का नाम 1/4, 1/4 हिस्से पर दर्ज हुआ। जिसमें वादी का नाम सहवन से नरवेश शंकर 1/14 हिस्से पर दर्ज हो गया। यह कि वादी का नाम निर्भय शंकर है तथा वादी के पहचान पत्र, आधार कार्ड, जनआधार कार्ड व परिवार राशन कार्ड व बैंक खाता व पंचायत तस्दीक में सभी जगह पर वादी का नाम निर्भय शंकर अंकित है। यह कि राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम नरवेश शंकर अंकित है। इस कारण राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम नरवेश शंकर के स्थान पर निर्भय शंकर अंकित किया जाना आवश्यक हैं। यह कि इस संबंध में वादी ने प्रतिवादी से दिनांक 03.07.2025 को

निवेदन करने पर उन्होनें कोई ध्यान नहीं दिया और मना कर दिया तथा अदालत से आदेश लाने को कहा। जिस कारण यह वाद पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

अतः वादी ने निवेदन किया है कि ग्राम पीपल्दा समेल तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बर 32 रकबा 2.53 है0 खसरा नम्बर 38 रकबा 0.39 है0, खसरा नम्बर 50 रकबा 0.57 है0 खसरा नम्बर 501 रकबा 3.36 है0 खसरा नम्बर 54 रकबा 0.32 है0 कुल किता 5 रकबा 7.17 है0 भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम नरवेश शंकर के स्थान पर निर्भर शंकर दर्ज किये जाने और राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने की प्रतिवादी के विरूद्व आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलवी विधिवत करवायी गयी। प्रतिवादी तहसीलदार दीगोद की और से जवाब सरकार प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार दीगोद ने अपने जवाब में वादी का नाम नरवेश शंकर के स्थान पर निर्भय शंकर दर्ज किये जाने की अनुशंषा की गयी है। तहसीलदार दीगोद से प्राप्त जवाब सरकार में नाम दुरूस्त किये जाने की अनुशंषा होने से तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं हैं। वादी अधि0 ने वादी साक्ष्य में PW-1 कमलाशंकर पुत्र रामनाथ का शपथ पत्र पेश किया। जो शामिल फाईल किया जाता है। पत्रावली को बहस पर नियत किया गया।

वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण में जवाब सरकार एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया ग्राम पीपल्दा समेल तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बर 32 रकबा 2.53 है0 खसरा नम्बर 38 रकबा 0.39 है0, खसरा नम्बर 50 रकबा 0.57 है0 खसरा नम्बर 501 रकबा 3.36 है0 खसरा नम्बर 54 रकबा 0.32 है0 कुल किता 5 रकबा 7.17 है0 भूमि में वादी का नाम नरवेश शंकर के स्थान पर नरवेश शंकर उर्फ निर्भर शंकर किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही शेष नही रहने पर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2026 को सरे इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
दीगोद

डिक्री मुकदमा

(आ0 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा

उनवान

निर्भय शंकर आत्मज रामनाथ जी जाति मीणा निवासी पीपल्दा समेल तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।

(वादी)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वादीगण की और से :– श्री अनिल खण्डेलवाल एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट वास्ते राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्ती

मिसल नम्बर 117/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ श्री दीपक महावर आर.ए.एस बहाजिरी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मिनजानिब मुद्दालयह न्यायालय में पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम पीपल्दा समेल तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बर 32 रकबा 2.53 है0 खसरा नम्बर 38 रकबा 0.39 है0, खसरा नम्बर 50 रकबा 0.57 है0 खसरा नम्बर 501 रकबा 3.36 है0 खसरा नम्बर 54 रकबा 0.32 है0 कुल किता 5 रकबा 7.17 है0 भूमि में वादी का नाम नरवेश शंकर के स्थान पर नरवेश शंकर उर्फ निर्भर शंकर किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री जारी की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2026 को सरे इजलास में सुनाया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदालयह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनाम	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगें।

सहायक कलक्टर

दीगोद